

कार्यालय कलेक्टर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

—:: निविदा सूचना ::—

क्रमांक / 8890 / जि.ना. / 2019,

रायगढ़, दिनांक 07 नवंबर, 2019

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालयीन निविदा सूचना क्रमांक 7703/जि.ना./2019, दिनांक 23.09.2019 एवं 8401/जि.ना./2019, दिनांक 15.10.2019 के परिपेक्ष्य में निम्नांकित निष्प्रयोजित शासकीय वाहनों के नीलामी हेतु निर्धारित समयावधि तक निविदा प्राप्त नहीं होने के कारण उक्त वाहनों के नीलामी हेतु निविदादाताओं से पुनः सीलबंद निविदा दिनांक 27/11/2019 को अपरान्ह 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है :-

| क्र. | शास. वाहन का क्रमांक | वाहन का प्रकार | निर्धारित अपसेट प्राईज | कार्यालय जहाँ वाहन रखा गया है |
|------|----------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|
| 01 | 03 | | 04 | |
| 1 | सी.जी.-02-8383 | टाटा सूमो | 60,000/- | अ. वि. अ. (रा.) धरमजयगढ़, |
| 2 | सी.जी.-02-3657 | जीप | 30,000/- | तह. पुसौर, जिला रायगढ़ |
| 3 | सी.जी.-02-2843 | टाटा सूमो स्पेसियो | 40,000/- | जि.ना. जिला कार्यालय रायगढ़ |
| 4 | सी.जी.-02-8900 | टाटा सूमो विष्ट | 45,000/- | जि.ना. जिला कार्यालय रायगढ़ |
| 5 | सी.जी.-13ZD-0660 | महिन्द्रा मार्शल. | 35,000/- | जि.ना. जिला कार्यालय रायगढ़ |

नीलामी की शर्तें :-

1. वाहन जहाँ तथा जिस स्थिति में है, कार्यालयीन दिनों में अपरान्ह 03:00 बजे से 05:00 बजे के मध्य वहाँ जाकर अवलोकन किया जा सकता है।
2. निविदाकर्ता को निविदा के साथ धरोहर राशि रु. 5000/- (अक्षरी :- राशि रु. पाँच हजार) का सावधी जमा रसीद (टी.डी.आर.) कलेक्टर रायगढ़ के हित में तैयार कर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदा दिनांक 27/11/2019 को अपरान्ह शाम 03:00 बजे तक ही स्वीकार किया जावेगा तथा दिनांक 27/11/2019 को शाम 05:00 बजे निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में खोली जावेगी।
4. जिस निविदाकर्ता द्वारा वाहन की कीमत सबसे अधिक आंकी जावेगी, उसे वाहन उठाने के पूर्व कम से कम पूरी कीमत की आधी राशि तत्काल जमा करनी होगी।
5. निविदा स्वीकार होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर निविदाकर्ता को वाहन उठाना अनिवार्य होगा, अन्यथा पूर्व में जमा की गई अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।
6. वाहन की (अपसेट प्राईज) कीमत प्राप्त नहीं होने पर उक्त नीलामी को निरस्त करते हुए पुनः निविदा बुलाई जावेगी।
7. निविदा में दी गई शर्तों का पालन करने के लिए सभी निविदाकर्ता बाध्य होंगे तथा इस संबंध में अंतिम निर्णय कलेक्टर रायगढ़ का मान्य होगा। कोई भी विवाद न्यायालयीन परिधि में नहीं लाया जा सकेगा।
8. निविदा में दी गई शर्तों के उल्लंघन पाये जाने पर जमा की गई अमानत राशि राजसात की जा सकेगी। अन्य परिस्थितियों में अमानत राशि नीलामी की कार्यवाही पूरी होने के बाद ही वापस की जा सकेगी।

कलेक्टर

जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमशः 02